APP - A
crim - I

FORM No. III

फर्द अहकाम

अज अदालत ~~सहायक~~ उपजिला कलेक्टर ~~एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट~~, मुकाम दीगोद

रामस्वरूप बनाम रामप्रसाद

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र - 212 नं. 42/12 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.4.12	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे वकील प्रार्थी को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया वकील प्रार्थी श्री रघुवीर सिंह का कथन है कि प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र रामधन जाति धाकड निवासी सीमलियां तहसील दीगोद जिला कोटा ने कथन किया है कि ग्राम सीमलियां तहसील दीगोद में खाता न. 169 पर ख.न. 31 रकबा 2.70 हे., ख.न. 32 रकबा 0.30 हे., ख.न. 567 रकबा 0.10 हे., ख.न. 614 रकबा 2.47 हे., ख.न. 614/956 रकबा 2.27 हे. कुल किता 5 रकबा 7.84 हे. भूमि स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षी न. 1 व 2 के पिता तथा प्रतिपक्षी न. 3 के पति रामधन आत्मज कजोड के नाम दर्ज चली आ रही है। खातेदार रामधन का देहावसान हो गया है और रामधन के प्रार्थी व प्रतिपक्षी न. 1 ता 3 वारिसान है उनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ता फैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षीगण उपरोक्त वर्णित भूमि ग्राम सीमलियां की कुल किता 5 रकबा 7.84 हे. भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नही करें। तथा उपरोक्त भूमि में प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने से नही रोके ओर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नही करें ओर न प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सीमलियां सं. 2067–70 खाता न. 189 तथा तथा अन्य दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे नजर आता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना भी प्रार्थी को है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सीमलियां तहसील दीगोद में खाता न. 169 पर ख.न. 31 रकबा 2.70 हे., ख.न. 32 रकबा 0.30 हे., ख.न. 567 रकबा 0.10 हे., ख.न. 614 रकबा 2.47 हे., ख.न. 614/956 रकबा 2.27 हे. कुल किता 5 रकबा 7.84 हे. भूमि का रहन, बैचान, अंतरण नही किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति रखी जावें। यदि प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी तारीख पेशी .... 2012 को न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश करें। अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण के न्यायालय मे उपस्थित आने तक के लिये जारी की जाती है। पत्रावली दि. 1.6.12 2012 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/12/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक --29.1.19-- को पेश हो।
22.1.19	पत्रावली उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित। चूंकि मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। अब प्रा०पत्र पर सुनवाई किए जाने का औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला-कोटा (राज.)